रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 420] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 28, 2011/श्रावण 6, 1933
No. 420] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 28, 2011/SRAVANA 6, 1933

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जुलाई, 2011

सा.का.नि. 575(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और कम्पनी कार्य विभाग, क्षेत्रीय निदेशक के कार्यालयों, कम्पनी रजिस्ट्रार के कार्यालयों एवं शासकीय समापक के कार्यालयों (अवर श्रेणी लिपिक) भर्ती नियम, 2000 को जहां तक उनका संबंध अवर श्रेणी लिपिक के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने से लोप किया गया है, एतद्द्वारा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालयों में अवर श्रेणी लिपिक के पद पर भर्ती के तरीकों को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाते हैं, नामत: :—

1. **संक्षिप्त नाम एवं लागू होने की तारीख.**—(1) इन नियमों को कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालयों (अवर श्रेणी लिपिक) भर्ती नियम, 2011 कहा जाएगा ।

(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण एवं वेतनमान.**—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण एवं वेतनमान वह होगा जो इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा एवं अन्य अर्हताएं.**—उक्त पद हेतु नियुक्ति की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं एवं अन्य बातें उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (14) में यथाविनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्र सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्र सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लिपिबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष वर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	योग्यता के आधार पर चयन या चयन-सह-वरिष्ठता अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का लाभ केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
1	2	3	4	5	6	7
अवर श्रेणी लिपिक	306* (2011) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित अनुसचिवीय	पे बैंड-2, बैंड पे 5200-20200 रु. के साथ ग्रेड पे 1900 रु.	अचयनित	लागू नहीं	18 से 27 वर्ष (केन्द्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुपालन में सरकारी कर्मचारियों हेतु 40 वर्ष तक) नोट 1:- आयु सीमा निर्धारित करने हेतु निर्णायक तिथि कर्मचारी चयन आयोग द्वारा यथा नियत तिथि होगी। (जहां भर्ती एसएससी के माध्यम से नहीं की जानी है वहां आयु सीमा निर्धारित करने हेतु तिथि आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी।)

सीधी भर्ती हेतु शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : सीधी भर्ती होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता

8	9	10	11
अनिवार्य: (i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्व विद्यालय से 12वीं कक्षा या समतुल्य उपाधि; (ii) कंप्यूटर पर अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट या हिन्दी में 30 शब्द प्रति मिनट की टंकण गति। (35 शब्द प्रति मिनट एवं 30 शब्द प्रति मिनट प्रति शब्द औसत 5 कुंजी दबाव के आधार पर 10500 केडीपीएच/9000 केडीपीएच के समतुल्य है।)	हां, कॉलम 11 में दर्शाई गई सीमा तक	2 वर्ष	(i) 85% एसएससी के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा (ii) 10% रिक्तियां विभागीय अर्हता परीक्षा के आधार पर 1800 रुपए के ग्रेड पे पाने वाले समूह 'ग' कर्मचारियों से जो 12वीं कक्षा या समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण हो एवं उस ग्रेड में 3 वर्षों की नियमित सेवा की हो। परीक्षा हेतु पात्रता के लिए अधिकतम आयुसीमा 45 वर्ष है (अ.जा./अ.ज.जा. के लिए आयु 50 वर्ष)। नोट: यदि खंड (ii) के तहत उपलब्ध ऐसे कर्मचारियों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक हो, तो परीक्षा में अर्हता प्राप्त ऐसे कर्मचारियों के नाम पर आगे के वर्षों में उत्पन्न होने वाली रिक्तियों हेतु विचार किया जाएगा ताकि पहले परीक्षा में अर्हता प्राप्त कर्मचारियों का नाम पर बाद की परीक्षा में अर्हता प्राप्त कर्मचारियों के नाम से पहले विचार किया जाए। (iii) 5% रिक्तियां 1800 रुपए के ग्रेड पे में 3 वर्ष की नियमित सेवा करने वाले समूह 'ग' कर्मचारियों में से वरिष्ठता-सह-उपयुक्तता के आधार पर भरी जाएंगी।

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में ग्रेड जिससे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा	क्या विभागीय प्रोन्नति समिति है। यदि हां, तो उसकी संरचना	भर्ती करने के किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
12	13	14
कॉलम 11 में यथा वर्णित	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति 1. क्षेत्र का प्रादेशिक निदेशक, अध्यक्ष 2. कंपनी रजिस्ट्रार/शासकीय समापक (कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड स्तर) - सदस्य	लागू नहीं होता

	3. अवर सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय - सदस्य 4. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति संवर्ग का कोई अधिकारी जो भारत सरकार के अवर सचिव के स्तर से नीचे का न हो - सदस्य	

[फा. सं. ए-12011/04/2011-प्रशासन-II]

अविनाश कुमार श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th July, 2011

G.S.R. 575(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Department of Company Affairs, Offices of the Regional Directors, Registrars of Companies and Official Liquidator (Lower Division Clerk) Recruitment done or omitted to be done before such supersession the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Lower Division Clerk in the Offices of Regional Directors, Registrar of Companies and Official Liquidators in the Ministry of Corporate Affairs, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Corporate Affairs, field offices (Lower Division Clerk) Recruitment Rules, 2011.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and Pay Band and Grade Pay/Pay Scale.—The number of posts, its classification and Pay Band and Grade Pay/Pay Scale attached thereto shall be specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit and other qualifications, etc.—The method of recruitment, age limit, qualification and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (14) of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has contracted into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personel law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempts any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concession required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special category of persons in according with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	No. of posts	Classification	Pay Band and Grade Pay/ Scale of pay	Whether selection post or non-selection post	Whether benefit of added years of admissible Service under rule 30 of the C C S (Pension) Rules, 1972.	Age limit for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
Lower Division Clerk	306* (2011) *Subject to the variation dependent on the workload.	General Central Service Group 'C', Non Gazetted, Ministerial	Pay Band 1, in Band Pay of (Rs.5200-20200), + Grade Pay Rs.1900	Non Selection	Not applicable	18 to 27 years (Relaxable for Government servants up to 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. **Note 1:** The Crucial date for determining the age limit shall be as fixed by the Staff Selection Commission. (Where recruitment is not through SSC crucial date for determining the age limit shall be the last date for receipt of applications.)

2882 GI/11—2

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualification. Prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the post to be filled by various methods
8	9	10	11
ESSENTIAL : (i) 12th Class or equivalent qualification from a recognized Board or University; (ii) A typing speed of 35 w.p.m. in English or 30 w. p. m. in Hindi on computer. (35 w. p. m. and 30 w. p. m. correspond to 10 500 KDPH/9000 KDPH on an average of 5 key depression for each word)	Yes to the extent indicated in Col.11	Two years	(i) 85% by Direct recruitment through SSC; (ii) 10% of the vacancies shall be filled from amongst the Group 'C' Staff in the Grade Pay of Rs.1800 and who possess 12th Class pass or equivalent qualification and have rendered 3 years regular service in the grade, on the basis of departmental qualifying examination. The maximum age limit for eligibility for examination is 45 years. (50 years of age for the SC/ST); **Note:** if more such employees than the number of vacancies available under Clause (ii) qualified at the examination, such excess number of employees shall be considered for filling the vacancies arising in the subsequent years so that the employees qualifying at an earlier examination are considered before those who qualify at a later examination; (iii) 5% of the vacancies shall be filled on seniority –cum-fitness basis from Group 'C' employees who have3 years regular service in posts with the grade Pay of Rs.1800.

In case of recruitment by promotion/ deputation/ absorption, grades from which promotion/deputation/ absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
12	13	14
As stated in Column 11	Group 'C' Departmental promotion Committee 1. Regional Director of the Region – Chairman 2. Registrar of Companies/ Official Liquidator (JAG) level – Member 3. Under Secretary, Ministry of Corporate Affairs – Member 4. An Officer belonging to SC/ST category not below the level of Under Secretary to the Govt. of India - Member	Not applicable

[F. No. A-12011/04/2011-Ad. II]

A. K. SRIVASTAVA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.